फर्द अहकाम

मैना देवी बनाम शांति देवी

यालय SDO II सांगानेर

या 151/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
26/5/25	पत्रावली वकील वादी ने पेश किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी को सुना गया। वादी का वाद डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय बा.कि.डी। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 151/2025
निर्णय दिनांक : 26.05.2025

उनवान

1. नैना देवी पत्नी श्री जयकुमार शर्मा,
2. राजकुमार शर्मा पुत्र श्री जयकुमार शर्मा
3. शिवाश शर्मा नाबालिक जरिये प्राकृतिक पिता एवं संरक्षक प्रेमराज शर्मा
4. सुनिता शर्मा पत्नी मुकेश शर्मा
5. सीता देवी पत्नी श्री प्रेमराज शर्मा
6. सीताराम शर्मा पुत्र श्री जयकुमार शर्मा
7. हर्षित शर्मा नाबालिक जरिये प्राकृतिक पिता एवं संरक्षक मुकेश शर्मा
   समस्त निवासीयान ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

वनाम

1. शांति देवी पत्नी रामेश्वर शर्मा उम्र लगभग 62 वर्ष निवासी ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादी

वाद दावा अन्तर्गत 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियतम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने वाद दावा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के रहवासी है तथा वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी कृषि भूमि खसरा सं. 349 रकबा 0.2000 है0 किस्म बारानी द्वितीय वाके ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है उक्त आराजी में वादिनी नैना देवी का हिस्सा 1/15, राजकुमार का हिस्सा 2/15, शिवांश का हिस्सा 4/15, सुनिता तथा हर्षित का हिस्सा 4/15 है तथा सभी वादीगण अपनी उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काविज है। यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि वादीगण ने विगत कृषि वर्ष में बाजरे की फसल बोई थी. इस प्रकार वादीगण अपनी उक्त आराजी का निरंतर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा सं. 351 कुल रकबा 0.0600 है० वाके ग्राम सारंगपुरा में स्थित है उक्त आराजी वादीगण के खसरा सं. 349 के समीप है, इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की आराजी के खसरा सं. भिन्न–भिन्न है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की भूमि के राजस्व नक्शों को ऑनलाइन कुछ वर्षों पूर्व किया गया है, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के खसरा सं. 351 के नक्शे का आकार को खसरा सं. 351 की पश्चिमी दिशा में वादीगण के खसरा सं. 349 की तरफ बढ़ा दिया, बढ़े हुए नक्शे के भाग को सुविधा की दृ

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

त्रि से ए, बी, सी मार्का से पीले रंग से दर्शित किया गया है। यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि पूर्व के नक्शे में (एकीकरण विभाग द्वारा जारी नक्शा संवत् 2040) में उक्त खसरा सं. 351 का भाग वादीगण की भूमि की ओर अंदर नहीं है, जबकि वर्तमान में बनाए गए नक्शे में गलती से खसरा सं. 351 का नक्शा बढ़ाकर वादीगण के खसरा सं. 349 की तरफ बढ़ा दिया, जिसे ए, बी, सी मार्का से दर्शित किया गया है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि किसी भी राजस्व अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व नक्शों को घटाने, बढाने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। नक्शे में की गई उक्त त्रुटि के कारण वादीगण की आराजी खसरा सं. 349 की भूमि का नक्शा कम हो गया, जिससे वादीगण के साम्पतिक अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे हैं तथा उक्त त्रुटि का अवांछित फायदा प्रतिवादी सं. 1 उठाना चाहती है और उक्त त्रुटि को आधार बनाकर वह वादीगण के खसरा सं. 349 की भूमि ए, बी, सी मार्का पर जबरन कब्जा करना चाहती है. जबकि खसरा सं. 351 का क्षेत्रफल 0.0600 है० ही है, जिसकी पुष्टि जमाबंदी से भी होती है। प्रतिवादी सं. 1 को वादीगण ने दिनांक 29.04.2025 को उक्त नक्शे नतउं की दुरुस्ती सहमति से करवाने के लिए निवेदन किया, किंतु प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण को स्पष्ट रूप से दुरूस्ती करवाने के लिए इनकार कर दिया और ऐलानिया कहा कि वह शीघ्र ही वर्तमान नक्शे के अनुसार भूमि पुख्ता बालबाउंड्री बनाकर रहेगी, ऐसी स्थिति में वादीगण नक्शा दुरूस्त करवाने के साथ–साथ इस बात के भी अधिकारी है कि प्रतिवादी स. 1 वादीगण के खसरा सं. 349 के किसी भू–भाग पर जबरन कब्जा नहीं करे और उक्त खसरे के उपयोग–उपभोग में मजाहमत कारित नहीं करे। राजस्व नक्शे में वांछित उक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का है, जिससे किसी भी प्रतिवादीगण को कोई परेशानी उत्पन्न होना सम्भव नहीं है, क्योंकि राजस्व नक्शे को बिना किसी अधिकारिता के बढ़ाया गया है, जबकि जमाबंदी में खसरा सं 351 का क्षेत्रफल 0.0600 है० ही है, ऐसी स्थिति में उक्त त्रुटि दुरूस्त करने में प्रतिवादी सं. 1 को कोई नुकसान कारित नहीं होगा। वाद कारण दिनांक 29.04.2025 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा नक्शा दुरूस्त करने से इनकार करने व वादीगण के खसरा सं. 349 की भूमि पर नक्शे की त्रुटि के आधार पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ, हस्तगत वाद वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक 29.04.2025 से बिना किसी विलंब के श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वाद वादी बाबत नक्शा दुरूस्ती वादीगण के हित में डिकी किया जाकर खसरा संख्या 351 रकबा 0.600 है० वाके ग्राम सारंगपुरा की के नक्शे को पूर्व की भांति दुरूस्त कर संलग्न नक्शे में ए, बी, सी स्थान जिसे पीले रंग से दर्शित किया गया है कि भूमि को वादीगण के नक्शे में दर्शित किया जावें तथा खसरा सं. 351 का नक्शा पूर्व के राजस्व नक्शे के अनुरूप दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वह

उपखण्ड अधिकारी

खसरा सं. 351 वाके ग्राम सारंगपुरा के नक्शे में हुई त्रुटि को आधार वनाकर वादीगण के खसरा सं. 349 के किसी भू–भाग पर न तो जवरन कब्जा करे और ना ही कोई निर्माण कार्य करे और न ही उक्त आराजी के उपयोग उपभोग में मजहामत कारित करे।

रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील वादीगण को वाद दावा पर सुना गया। दौराने वहस वकील वादीगण ने दावे में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वाद वादी वावत नक्शा दुरूस्ती वादीगण के हित में डिकी किया जाकर खसरा संख्या 351 रकबा 0.600 है० वाके ग्राम सारंगपुरा की के नक्शे को पूर्व की भांति दुरूस्त कर संलग्न नक्शे में ए, बी, सी स्थान जिसे पीले रंग से दर्शित किया गया है कि भूमि को वादीगण के नक्शे में दर्शित किया जावें तथा खसरा सं. 351 का नक्शा पूर्व के राजस्व नक्शे के अनुरूप दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वह खसरा सं. 351 वाके ग्राम सारंगपुरा के नक्शे में हुई त्रुटि को आधार वनाकर वादीगण के खसरा सं. 349 के किसी भू–भाग पर न तो जवरन कब्जा करे और ना ही कोई निर्माण कार्य करे और न ही उक्त आराजी के उपयोग उपभोग में मजहामत कारित करे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपांत अवलोकन करने व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे हे कि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी कृषि भूमि खसरा सं. 349 रकबा 0.2000 है0 किस्म बारानी द्वितीय वाके ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है उक्त आराजी में वादिनी नैना देवी का हिस्सा 1/15 है। सभी वादीगण अपनी उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। वादीगण ने विगत कृषि वर्ष में बाजरे की फसल बोई थी. इस प्रकार वादीगण अपनी उक्त आराजी का निरंतर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा सं. 351 कुल रकबा 0.0600 है० वाके ग्राम सारंगपुरा में स्थित है उक्त आराजी वादीगण के खसरा सं. 349 के समीप है, इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की आराजी के खसरा सं. भिन्न–भिन्न है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की भूमि के राजस्व नक्शों को ऑनलाइन कुछ वर्षों पूर्व किया गया है, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के खसरा सं. 351 के नक्शे का आकार को खसरा सं. 351 की पश्चिमी दिशा में वादीगण के खसरा सं. 349 की तरफ बढ़ा दिया पूर्व के नक्शे में (एकीकरण विभाग द्वारा जारी नक्शा संवत् 2040) में उक्त खसरा सं. 351 का भाग वादीगण की भूमि की ओर अंदर नहीं है, जबकि वर्तमान में बनाए गए नक्शे में गलती से खसरा सं. 351 का नक्शा बढ़ाकर वादीगण के खसरा सं. 349 की तरफ बढ़ा दिया, जिसे ए, बी, सी मार्का से दर्शित किया गया है। किसी भी राजस्व अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व नक्शों को घटाने, बढ़ाने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि खसरा संख्या 351 रकबा 0.600 है० वाके ग्राम सारंगपुरा पटवार हल्का नृसिंहपुरा, भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर के नक्शे को ऑनलाईन करने से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है यदि किसी अन्य न्यायालय में स्थगन न हो तो। उक्त आराजीयात का जब तक नक्शे में दूरूस्ती नही हो जाती तब तक प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया किया जाता है कि खसरा सं. 351 वाके ग्राम सारंगपुरा के नक्शे में हुई त्रुटि को आधार बनाकर वादीगण के खसरा सं. 349 के किसी भू–भाग पर न तो जबरन कब्जा करे और ना ही कोई निर्माण कार्य करे और न ही उक्त आराजी के उपयोग उपभोग में मजहामत कारित करे। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर